कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक– 1575 /FP/UK/ROAD/8840/2014 :देहरादूनःदिनांकः 28 नवम्बर, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः–जनपद–टिहरी गढ़वाल में कैंथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 47 / 2015 / एफ0सी0 / 995 दिनांक 17–08–2015

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. शर्त सख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 2.94 हे0 ग्राम–घोघस, पट्टी–लामरीधार तहसील–जाखणीधार, जनपद–टिहरी गढ़वाल में सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु रूपये 6,15,536.00 (छः लाख पन्द्रह हजार पांच सौ छत्तीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष के जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित जनपद–टिहरी गढ़वाल में ग्राम–घोघस, पट्टी–लामरीधार तहसील–जाखणीधार मे 2.94 हे0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करा दिया गया है। म्यूटेशन की गयी भूमि के आदेश की प्रति खसरा खतौनी सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 9,65,790.00 (रू0 नौ लाख पैंसठ हजार सात सौ नब्बे) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र संख्या 3093 / 23सी दिनांक 30–10–2015 के बिन्दु संख्या–5 के द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर की धनराशि प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशि रू0 15,81,326.00 (पन्द्रह लाख इक्कासी हजार तीन सौ छब्बीस) मात्र को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कर दिया गया है, जिसका UTR नं0 SBIN 715301371800 दिनांक 28–10–2015 है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र संख्या 3093 / 23सी दिनांक 30–10–2015 के बिन्दु संख्या–7 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :—1575/ FP/UK/ROAD/8840/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी जनपद—टिहरी गढ़वाल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,नई टिहरी
फोन / फैक्स नं0– (01376) 233312 ई0 मेल– eepwdtehri@rediffmail.com

पत्रांक 3093 / 23सी0 दिनांक 30 / 10 / 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी, टिहरी गढवाल।

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–583 / FP/UK/ROAD/8840/2014 दिनांक 19.08.2015 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रॉक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 47 / 2015 / एफ0सी0 / 995 दि0 17.08.2015।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करेगे, जिसके कम में भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कुछ शर्तो पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, सभी शर्तो की बिन्दुवार आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नवत् हैः–

1– शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रस्तावित 2.94 है0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 615536.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 965790.00 कुल धनराशि रू0 1581326.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Utttaranchal/ 037100101025229 New Delhi Lodhi Complex/ Corporation Bank/IFSC CODE Corp0000371 एम0आई0सी0आर0 कोड 110017007 एवं ब्रांच कोड 000371 में E-Cheque के माध्यम से दि0 21.10.2015 को जमा की जा चुकी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) संलग्नक–1

2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम घोघस सिविल एवं सोयम भूमि क्षेत्रफल 2.94 है0 को वनविभाग को हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्रांक सं0 2819 / XXVI –07(2014–15) दि0 08.09.2015 द्वारा आदेश पारित किये गये है। भूमि अन्तरित कर ली गयी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) संलग्नक–2

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 965790.00 बिन्दु सं0 1 के अनुसार वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।

4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में डिमान्ड नोट का नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया गया है, जिसके पश्चात ही उक्त धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है ।

5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी की जाती है, तो बढी हुई धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।

6– शर्त सं0 6 का अनुपालन करते हुये उक्त धनराशि बिन्दु सं0 1 के अनुसार आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। जिसका यू0टी0आर0न0............................दि0............................है।

7– शर्त सं0 7 के सापेक्ष प्रमाणित किया जाता है कि जहां संभव होगा सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

8– शर्त सं0 8 के अनुसार मलवा निस्तारण योजना वनभूमि पर प्रस्तावित नही है ।

क्रमशः 2 पर

J P Gairola new/ PD Pwd new tehri

भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के पेज सं0 2 में दी गयी शर्तो के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि–

1– वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।

2– एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी दरों पर एन0पी0वी0 जमा कर दी जायेगी।

3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों एवं स्टाफ के लिये लैबर कैम्प नही लगाया जायेगा।

4– निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

5– प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन विभाग की देख रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन किया जायेगा, जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।

6– परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचाई जायेगी।

7– वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नही किया जायेगा।

8– मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 55 से अधिक नही होगी।

9– परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा कहीं नहीं फेंका जायेगा।

10– अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर वर्तमान में लागू नही होते है, भविष्य में आवश्यकतानुसार अनुमति ले ली जायेगी।

11– ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में पर्यावरण, वन एवं अन्य जीवों के संरक्षण हेतु अधिरोपित की जायेगी, का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उक्त पत्रों में दी गई सभी शर्तो का अनुपालन कर दिया गया है, अनुपालन आख्या के उपरान्त इस अनुरोध के साथ की उक्त मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(इं0 जगमोहन सिंह चौहान)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नईटिहरी ।

प्रतिलिपि –

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

2– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित ।

3– अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत, लो0नि0वि0, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित ।

4– सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5– श्री रामरतन पेटवाल, अमीन को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/X/15

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नईटिहरी ।

30/X/15

20 NOV 2015

वन मित्र कॉल सेंटर नं0. 9208008000

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
फोन / फैक्सः 01376 232077, ई मेलः dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्र संख्याः 1058/ 12 – 1 (2) , नई टिहरी, दिनांकः नवम्बर, 6, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषयः जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कैंथोली से नैखरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.47 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

संदर्भ : आपका पत्रांक–583/FP/UK/ROAD/8840/2014 दिनांक 19–08–2015 एवं भारत सरकार, की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/47/2015/एफ.सी./995 दिनांक 17–08–2015

महोदय,

जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कैंथोली से नैखरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.47 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता विभाग द्वारा अपने पत्रांक–3093/23 सी0 दिनांक 30–10–2015 से निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है–(**पत्र की प्रति संलग्न है**)।

1. **भारत सरकार की शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.94 हे0ग्राम घोघस सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखाव हेतु आवश्यक धनराशि मु0 6,15,536.00 (छः लाख पन्द्रह हजार पांच सौ छत्तीस) रूपये मात्र एवं एवं **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि 9,65,790.00 (नौ लाख पेंसठ हजार सात सौ नब्बे)रूपये कुल 15,81,326.00(पन्द्र लाख इक्कासी हजार तीन से छब्बीस) रू0 की धनराशि Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal SB A/C No-037100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली IFSC Code CORP 0000371 MICR code 110017007 में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा किया गया है। E-Cheque Advise की छाया प्रति तीन प्रतियों में संलग्न है। जिसका UTR No. SBIN 715301371800 है। पत्र की प्रति संलग्न है ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम घोघस सिविल एवं सोयम भूमि 2.94 हे0 को जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्र संख्या–2819/XXVI-07(2014-15) दिनांक 08–09–2015 द्वारा वन विभाग के पक्ष में नाभान्तरित /हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिस सम्बन्धित वनक्षेत्राधिकारी द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिया गया है। अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र मय नक्शे–खसरे के तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

2. भारत सरकार की शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने का वचनवद्धता प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है।
3. नोडल अधिकारी की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार डिमाण्ड नोट सत्यापन करने के पश्चात् धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है।
4. भारत सरकार की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त धनराशि बिन्दु संख्या–1 के अनुसार आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा की गयी है।
5. भारत सरकार की शर्त संख्या 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत कि निर्माण कार्य के पश्चात् जहां सम्भव हो सके सडक के दोनों किन्नारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी वचनवद्धता प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है।
6. नोडल अधिकारी के शर्त संख्या–8 के अनुसार मलवा निस्तारण योजना वन भूमि पर प्रस्तावित नहीं है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आर0पी0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या – / दिनांकित।

प्रतिलिपि :अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 पी0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पिर्यसन रोड़ वन नुसंधान संस्थान परिसर देहरादून के पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/47/2015 एफ0सी0/ 995 दिनाँक 17 अगस्त 2015 के द्वारा जनपद के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47हे0 वन भूमि के गैरवानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कतिपय प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त स्वीकृति की शर्त संख्या–01 के अनुसार कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 2.94हे0 सिविल सोयम भूमि को हस्तान्तरित किया जाना है।

उप जिलाधिकारी तथा तहसलीदार जाखणीधार द्वारा अपने प्रस्ताव दिनाँक 27.03.2013 की छायाप्रति सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित कर संलग्न की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् है–:

तहसील	ग्राम सभा	पट्टी	खसरा संख्या	कुल रक्वा (हे0में)	याचित रक्वा (हे0में)
01	02	03	04	05	06
जाखणीधार	घोघस	लामरीधार	1138	1.093	1.093
			1180	0.632	0.632
			1232	1.071	0.714
			1243	0.501	0.501
योग			4	3.297	2.940

उक्त प्रस्तावित कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग का प्रस्ताव शासनादेश सँख्या 2882/XVIII(II) 11–18 (120) /2010 दिनाँक 11.11.2011 पर शासनादेश संख्या 2365 /XVIII(II)/13–18(120)/2010 टी0सी0 दिनाँक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित 1.47हे0 वन भूमि के सापेक्ष दुगनी 2.940हे0 सिविल राजस्व भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनाँक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी जाखणीधार द्वारा प्रस्तावित की गयी ग्राम घोघस पट्टी लामरीधार की 2.940हे0 राजस्व सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–2619 /XXVI-07 (2014–15) दिनांक नई टिहरी अगस्त, 2015

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–:

1– सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
6– उपजिलाधिकारी जाखणीधार।
7– अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0लो0नि0वि0 नई टिहरी।
8– तहसीलदार जाखणीधार।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी के अन्तर्गत कैथोली से नेखरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.47 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिलाधिकारी, टिहरी आदेश स0 2819/XXXVI–07 *(2014–15), दिनांक 08.09.2015, से जारी निर्देश के क्रम में ग्राम घोघस पट्टी, लामरीधार तहसील जाखणीधार अमल दरामद 2.94 है0 चिन्हित सिविल भूमि जो खसरा स0 1138,1180,1232,1243 रक्वा 2.94 है0 के मध्य 3.297 है0 में है। राजि अधिकारी टिहरी द्वारा अपने कब्जे मे ले ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।*

वन क्षेत्राधिकारी,
टिहरी राजि।
9/10/2015

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीचौरी उप वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

Amal Dramd Pro.

[...]तौनी ज० वि० र० खतौनी ग्राम घोघसा रा०उ०नि० क्षेत्र [illegible]
[...]णीधार तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

फसली 1421 से 1426 तक

खातेदार	फसली वर्ष	खेत नम्बर	रकबा	विवरण
5 उ०प्र० सरकार वर्ग 9(3) 5०		1 2	0429 0216	
		1137 1138 1180 1232 1240 1243	0070 1.093 0.632 1071 0.521 0.501	-0501 (1423 फसली) मुताबिक आदेश जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 2819/XVI-07(2014-15) के अनुसार खसरा नं० 1138 रकबा 1.093 हे० 1180 रकबा 0.632 हे० 1232 में रकबा 0.14 हे० 1243 रकबा 0.501 हे० कुल रकबा 2.940 हे० भूमि टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को शासकीय [illegible] हेतु आवंटित किये जाने का आदेश है। [illegible]
	योग	136	1.4198	

नोट – असल खतौनी से नकल तैयार की, [signature] 07/10/15
रा० उ० नि० अजनीसैण
तहसील:- जाखणीधार
जिला:- टिहरी गढ़वाल

उ०सि०सैल ३

(खसरा) ग्राम डोभाल रा०उ०सि०सैल औजारी सैण पट्टी लासीवाड़ —
तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल,

फसली 1421

	रकबा	रकबा सैरका	नाम काश्तकार	विवरण
138	1.093	5	उ०प्र० सरकार वर्ग 9(3)5	
1180	0.632	5	—— " —— ——	
1232	1.071	5	—— " ——	
1243	0.501	5	—— " ——	
4	3.297	—		

तैयार किया,

[signature] 3/10/15

रा० उ० नि० औजारी सैण
तहसील:- जाखणीधार
जिला:- टिहरी गढ़वाल

नकल नक्शा ग्राम धौधस पट्टी लामगीधार तहसील जाखणीधार
जिला-टिहरी गढ़वाल

पैमाना 64'' = 1 मील

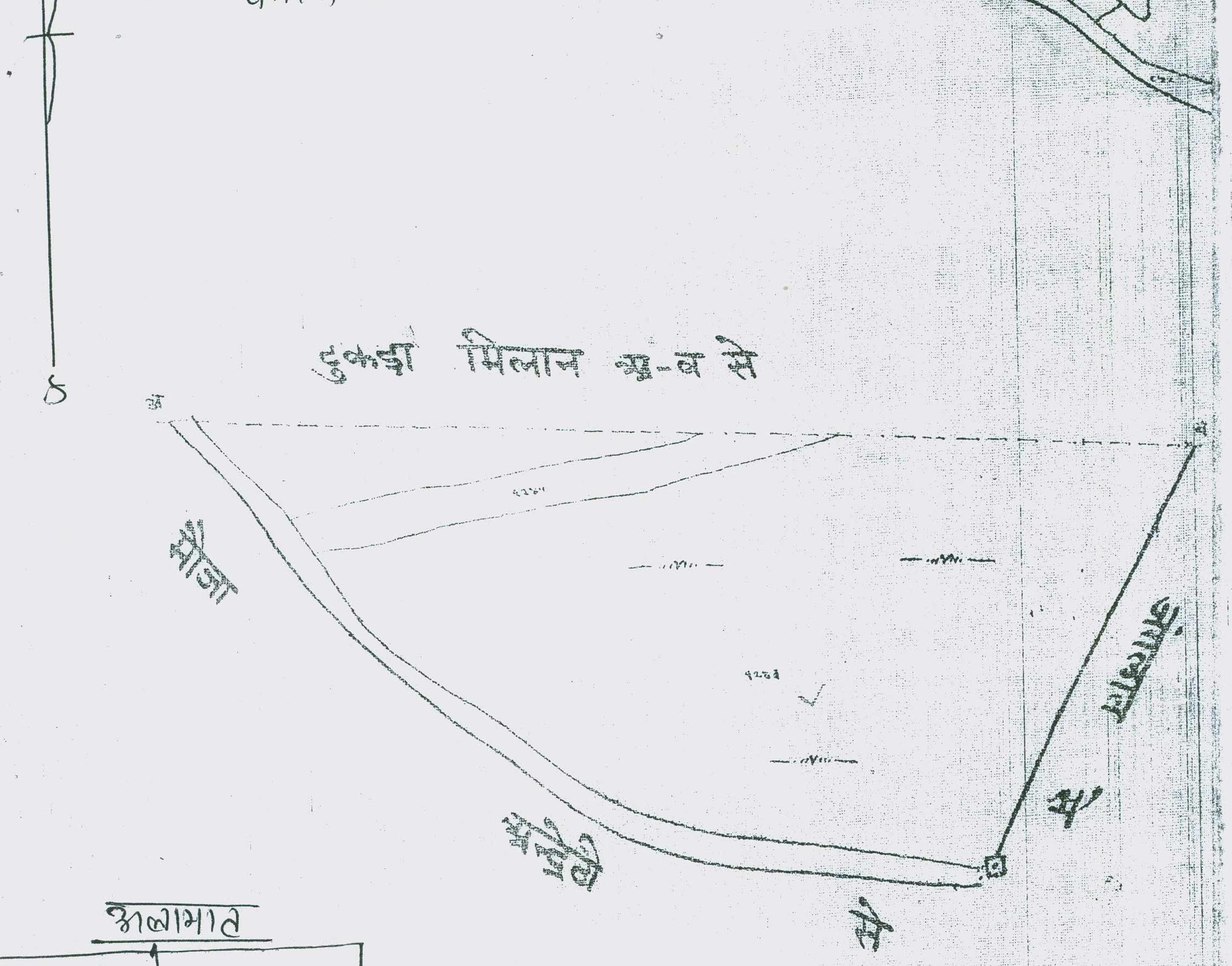

अलामात

नापखेत	
बंजर	
मकान चाक	

तैयारकर्ता

[illegible]

रा० उ० नि० अजनीसैण
तहसील:- जाखणीधार
जिला:- टिहरी गढ़वाल

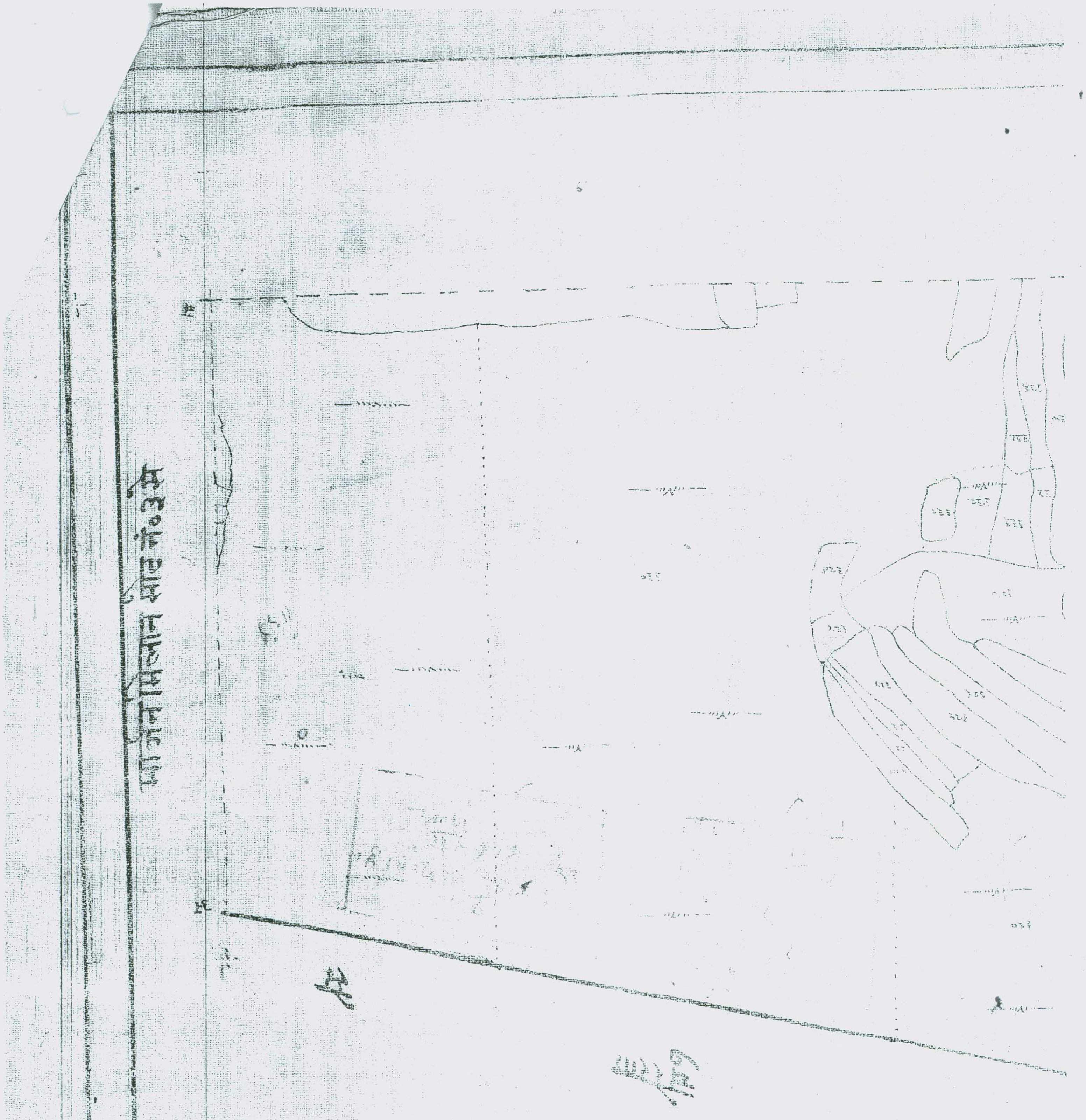

रा० उ० नि० अजनासेण
तहसील:- जाखणीधार
जिला:- टिहरी गढवाल

रा० उ० नि० ... जाखणीधार
तहसील:- जाखणीधार
जिला:- टिहरी गढ़वाल

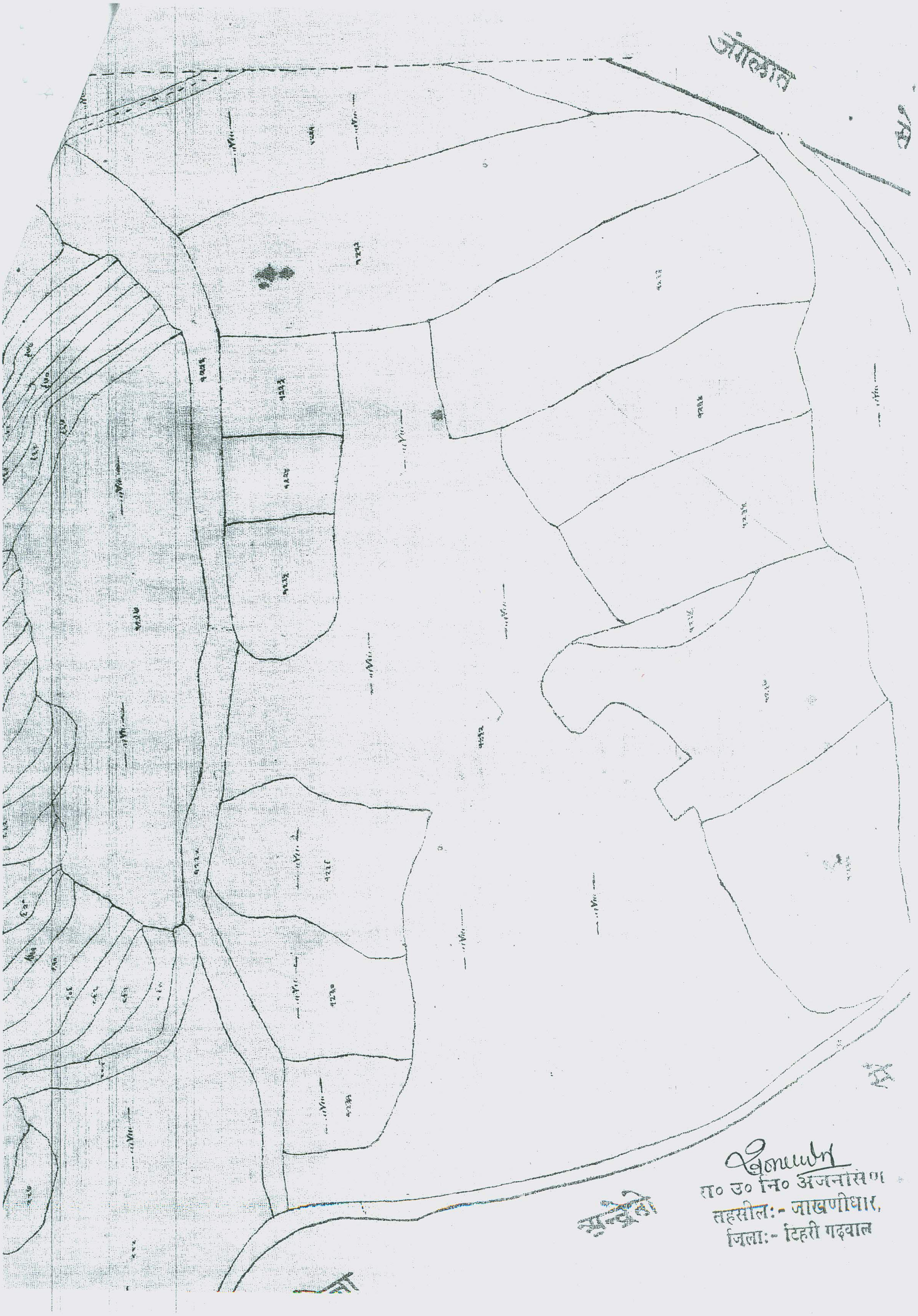

रा० उ० नि० अजनासण
तहसील:- जाखणीधार,
जिला:- टिहरी गढ़वाल

सं०नामक -03

..mber	SBIN715301371800	Tran Branch	08981
Date:	28/10/2015		
..ount	1581326	INR	
..ommission	0		

Beneficiary Details

Beneficiary A/C: 037100101025229

Benef. Name And Address:

compensatory afforestation fund
123456789
null

Beneficiary bank/branch

IFSC Code: CORP0000371

Details of Payment:

Error Code

Remitting Customer Details

Account Number: 00003199304000009

Remitter's Name And Address:

DIRECTOR TREASURIES AND FINNACE SER
23 LAXMI ROAD DALANWALA
DEHRADUN UTTARAKHAND
248001

Sender's To Receiver Information

/INB
26 OCT 15 CC6100109710150056 DELC

Fund Status

Close

संलग्नक -1

Core Treasury System (CTS UK)
E-Cheque Advise
Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC6100109710150056 Date :21-OCT-15

Div Code :	1097	Division Name :	Provincial Division P.W.D.
Grant No. :	PAC	Scheme :	5054048000500 PV
Code :	DELC09094B	Name :	Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal
Payment Type :	Misc. Payment	Project Name :	LAND COMPANTATION AND N.P.V. PAYMENT (STATE SEC

ALLOTED AMT : 86422051 EXPENDITURE AMT : 76356947 REMAINING AMT : 10065104

To,

CTO/Sr.TO/TO/STO
New Tehri

Please pay to Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal
Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.037100101025229 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	1581326
	Total Payment	1581326

Amount in words : (Rs. Fifteen Lac Eighty-One Thousand Three Hundred Twenty-Six Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

By Cashier PD PWD N.T.T.

Signature with Seal
DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. New Tehri
Division Accoutnt officer
Provinsial Division
P.W.D. New Tehri

Signature with Seal 21/X/15
Executive Engineer PD PWDTehri

For Treasury Use

Voucher No.
Voucher Date. / /

ID :CC6100109710150056 Date :21-OCT-15

Passed Amount Rs. : 1581326.00
Payment Id :
Amount in words : (Rs. Fifteen Lac Eighty-One Thousand Three Hundred Twenty-Six Only.)
Bank Amount Rs. : 1581326.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature ATO Signature CTO/Sr.TO/TO/STO Signature